



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) ,210712

www.pssou.ac.in Email - registrar@pssou.ac.in

क्रं.528/अका./2023

बिलासपुर, दिनांक 20/01/2023

// अधिसूचना //

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् बैठक संख्या 08/आपात/2022 दिनांक 23/02/2022 के प्रस्ताव क्रमांक 01 पर लिए गए निर्णयानुसार "अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/समयमान शर्तों का परिनिश्चयन" को विश्वविद्यालय में लागू किया गया था जिसमें कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 12/नियमित/2023 दिनांक 13/01/2023 के प्रस्ताव क्रमांक 09 में संशोधन पश्चात् पूर्व निर्धारित पदनाम क्रमांक 10 के आगे क्रमशः 11 से 15 तक (स्ववित्तीय प्राप्त पदों) को जोड़ा गया है एवं इस प्रस्ताव को मान्य किया गया है।

यह आदेश इस विश्वविद्यालय के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार



कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 20/01/2023

पृ. क्र.529/अका./2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छ.ग.।
2. सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110302
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर छ.ग.।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रवती भवन नया रायपुर छ.ग.।
5. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनाथ।
6. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
7. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
8. स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
10. प्रभारी वेब सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।


कुलसचिव

श

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

**अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/
पदोन्नति/समयमान शर्तों का परिनिश्चयन**

(संदर्भ: पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25 एवं उनके संगत बनाए गए परिनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति/पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु प्रवृत्त)

1. विश्वविद्यालय को राज्य शासन से सेटअप में स्वीकृत अशैक्षणिक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों में नियमित नियुक्ति/पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	पदोन्नति	सीधी भर्ती से नियुक्ति	नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्रीय निदेशक	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार
2	परीक्षा नियंत्रक	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 18 द्वारा निर्धारित
3	निज सचिव, कुलपति	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित। या छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित न होने की दशा में विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार।
4	हेड ऑफ कम्प्यूटर सेंटर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।
5	सिस्टम इंजीनियर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।
6	सहायक ग्रंथपाल/ग्रंथपाल सहायक ग्रंथपाल के वेतन मान पर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार।
7	सहायक यंत्री	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	राज्य शासन द्वारा निर्धारित
8	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार।

9	तकनीकी सहायक	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।
10	चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित।
11	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार।
12	सिस्टम एनालिस्ट	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार।
13	छात्र कल्याण अधिकारी	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार।
14	जनसंपर्क अधिकारी	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार।
15	सहायक छात्र कल्याण अधिकारी	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग H के अनुसार।

- 1.1 विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक अधिकारियों को राज्य शासन के नियमानुसार क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।
- 1.2 विश्वविद्यालय परिनियम 13 की परिशिष्ट में उल्लेखित पदनाम को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित वेतनमान एवं अन्य लाभ देय होंगे।
- 1.3 विश्वविद्यालय के समस्त नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में छ.ग. शासन के समस्त आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
- 1.4 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अशैक्षणिक पदों में समय-समय पर पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता में किए गये परिवर्तन को संबंधित परिनियम/नियम में स्वमेव समाहित माना जावेगा।
- 1.5 यह भी कि उपरोक्त अशैक्षणिक पदों में जहां राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कोई न्यूनतम अर्हता निर्धारित नहीं की गई हो, वहां पर कार्यपरिषद् द्वारा तय शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी।

2. विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति समिति —

- 2.1 अशैक्षणिक पदों (कडिका 1) हेतु विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु एक समिति होगी, जिसका गठन निम्नांकित अनुसार होगा—

- (1) कुलपति या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति — अध्यक्ष।
- (2) कार्यपरिषद् के द्वारा स्वयं में से नामांकित एक सदस्य/ वरीयतः इग्नु सदस्य — सदस्य।

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| (3) | विश्वविद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक | — | सदस्य। |
| (4) | अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि | — | सदस्य (आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार) |
| (5) | अनु. जनजाति प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| (6) | अनु. जाति प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| (7) | अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| (8) | महिला प्रतिनिधि | — | सदस्य |

(क्रमांक 3 से 8 तक का नामांकन कुलपति द्वारा किया जायेगा)

2.2 समिति की बैठक विश्वविद्यालय परिनियम 13 के अनुसार समय-समय पर आहूत की जा सकेगी।

3. चयन समिति का गठन – परिनियम 11 के उपबन्धों के अधीन

3.1 गैर शैक्षणिक पदों के सीधी भर्ती हेतु चयन समिति का गठन परिनियम 11 के बिन्दु 3 के अनुरूप होगा।

इसके अतिरिक्त मूल दस्तावेजों के जाँच कार्य में अन्य दो शिक्षकों (कुलपति द्वारा मनोनीत) के अतिरिक्त निम्नानुसार दो सदस्य रहेंगे:—

1. अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि। (कुलपति द्वारा नामांकित)

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग।(कुलपति द्वारा नामांकित)

क्रमांक 1 एवं 2 में महिला सदस्य नहीं हो तो एक महिला प्रतिनिधि भी कुलपति द्वारा मनोनीत होगी।

इस प्रकार इस समिति में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। ऐसे सभी सदस्य चयनित किये जाने वाले अधिकारी से निम्नतर स्तर के नहीं होंगे।

4. सीधी भर्ती परीवीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से मानी जावेगी, किन्तु यदि एक ही आदेश के तहत अनेक कर्मचारियों की एक साथ नियुक्ति की गई हो, उनकी आपस में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति आदेश की वरीयता क्रम में किया जाएगा।

5. नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी परीवीक्षा की समाप्ति पर गुणानुक्रम के अनुसार स्थायीकरण में बरकरार रखी जायेगी। किन्तु यदि किसी कर्मचारी की परीवीक्षा अवधि में वृद्धि की जाती है। तो उसका स्थायीकरण तीन वर्ष के बाद की तिथि से होगा तथा उसकी वरिष्ठता का निर्धारण आदेश देने वाले प्राधिकारी के विवेकाधीन होगा। यह चाहे तो बाद में स्थायीकरण की तिथि से वरिष्ठता दे अथवा सामान्य परीवीक्षा अवधि की समाप्ति की तिथि से।

6. पदोन्नत कर्मचारी :- कोई पदोन्नत विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी ज्येष्ठता की गणना उस सेवा में जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है अपनी स्थायीकरण की तारीख से करेगा तथा

पद क्रम सूची में उस सेवा के अंतिम स्थायी सदस्य के ठीक नीचे किन्तु परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के ऊपर रखा जावेगा।

परंतु जहां दो या अधिक पदोन्त विश्वविद्यालय कर्मचारी की एक ही तारीख को स्थायीकरण की जाती है तो नियुक्ति अधिकारी उस सेवा में जिसमें उन्हें स्थायी किया गया है उनकी परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम में जिसमें पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्त का अवधारण करने के लिए तैयार की गई योग्यता क्रम सूची में यदि कोई हो, शामिल किये गये हों और उनकी निचली सेवा में जिसमें व पदोन्नत किये गये हैं अपेक्षित ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जावेगी।

7. **आचरण नियम :-** विश्वविद्यालय अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 के अंतर्गत निर्मित परिनियम 13 में वर्णित आचरण नियम विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर लागू है किन्तु इसमें वर्णित प्रावधान अत्यंत संक्षिप्त है। अतः विश्वविद्यालय कर्मचारियों के प्रकरणों के निपटारा हेतु छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की समय-समय पर उनमें सुधार लागू होंगे। (आधार म.प्र. सिविल सेवा) (आचरण नियम 1965)
8. **गोपनीय प्रतिवेदन :-** विश्वविद्यालय कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का लेखन एवं उनकी प्रक्रिया तथा टीकायें सामान्य पुस्तक परिपत्र खण्ड एक में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा उनके लिये किये गये सुधारों के अनुरूप लागू होगी।
9. **आयु सीमा :-** अशैक्षणिक पदों में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तत्समय घोषित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा लागू होगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों/नियमों के अनुसार दी गई छूट नियमानुसार लागू होगी।
10. शासन द्वारा निर्धारित कम आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
11. इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे किसी भी पद के लिये अर्ह नहीं होंगे।
12. इस नियम में उल्लेखित समस्त प्रक्रिया या अन्य शर्तों को विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय को होगा, जो पूर्णतः बन्धनकारी होगा।

—0000—

(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 12/नियमित/2023, दिनांक 13/01/2023 के प्रस्ताव क्रमांक 08 के द्वारा अनुमोदित। कार्यवृत्त अधिसूचना क्रमांक 131/का.प./बैठक/2023 बिलासपुर दिनांक 13/01/2023)